



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268886
CG-DL-E-29122025-268886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5845]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5845]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSAH 8, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6045(अ).—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 सितम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4089 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, के स्थान पर उन बातों को छोड़कर जो इस अधिक्रमण से पहले की गई हैं या नहीं की गई हैं, केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्पेस कूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वेपर कंप्रेशन टाइप के चिलर्स को विनिर्दिष्ट करती है, जिनका रेटेड वोल्टेज 250 वोल्ट, 50 हर्टज एसी तक है, सिंगल फेज के लिए और 415 वोल्ट, 50 हर्टज एसी तक श्री फेज पावर सप्लाई के लिए और यह निर्देश देती है कि भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जा रहे ऐसे किसी भी चिलर पर उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लेबल पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

[फा. सं. 10/11/2022- ईसी]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

S.O. 6045(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4089(E), dated the 18th September, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the Chillers of vapour compression type being used for space cooling with rated voltage up to and including 250 V, 50 Hz AC, for single phase and up to and including 415V, 50Hz AC for three phase power supply and direct that any such chillers being manufactured or imported for sale in India shall display particulars on labels in accordance with the provisions of the said Act or the regulations made thereunder.

[F. No. 10/11/2022-EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer